राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1820/2006/भरतपुर

मैसर्स शंकर स्टील इण्डस्ट्रीज,
एच–136, ब्रज औद्योगिक क्षेत्र, भरतपुर ....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–ब, भरतपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह, आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.गुप्ता, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 15.06.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 257/उपा–भरत/05–06/सीएसटी में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 18.01.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ब, भरतपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 29(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23.07.2005 के संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रार्थी के वर्ष 2003–04 का कर निर्धारण किये जाते समय पाया गया कि व्यवहारी फर्म द्वारा स्लॉटेड ऐंगल, लॉक प्लेट एवं मोना चूल (Slotted Angles, Lock Plate and Mona Chule) नामक लोहे के आइटम्स का निर्माण कर बिक्री की जाती है। कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि ये आइटम्स हार्डवेयर की श्रेणी में होने के कारण इन पर 8 प्रतिशत बिक्री कर व 15 प्रतिशत अधिभार देय है जबकि व्यवहारी द्वारा उक्त माल की बिक्री पर कर 4 प्रतिशत ही वसूल किया गया है। अतः निर्धारित दर से कर कम वसूल कर जमा कराने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसकी पालना में व्यवहारी द्वारा लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया। लिखित प्रत्युत्तर से असंतुष्ट होते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने फर्म द्वारा निर्मित व विक्रीत स्लोटेड ऐंगल, लॉक प्लेट एवं मोना चूल आइटम्स को आयरन एवं स्टील की श्रेणी में न आकर हार्डवेयर की श्रेणी में मानते हुए उक्त वस्तुओं की बिक्री पर 8 प्रतिशत कर व सरचार्ज आरोपित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय

निरन्तर.....2

अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः जांच करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय अधिकारी ने स्लॉटेड ऐंगल को आयरन एण्ड स्टील की श्रेणी में मानते हुए इस पर देय कर 4 प्रतिशत की दर से ही मानते हुए अतिरिक्त कर व ब्याज को अपास्त किया है; लॉक प्लेट को हार्डवेयर की श्रेणी में मानते हुए इस पर 8 प्रतिशत की दर से आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की गई है, तथा इन दोनों मदों की सही बिक्री निर्धारित कर करारोपण हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि स्लॉटेड ऐंगल, लॉक प्लेट एवं मोना चूल विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार आयरन स्टील की श्रेणी में आते है न कि हार्डवेयर में। उनकी निर्माण प्रक्रिया से भी यह स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त निर्माण प्रक्रिया को गलत रूप से परिभाषित किया गया है। वास्तव में कोई नई वस्तु का निर्माण नहीं हुआ है व आयरन स्टील उसी रूप में वस्तुओं का रूप परिवर्तन किये जाने के पश्चात बिक्री किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने स्लॉटेड ऐंगल के बिन्दु पर उनकी अपील स्वीकार करते हुए इसे 4 प्रतिशत की दर से ही करयोग्य माना है, परन्तु लॉक प्लेट को उन्होंने हार्डवेयर आइटम मानते हुए इस पर कर दर 8 प्रतिशत से निर्धारित कर व ब्याज की पुष्टि की है तथा मोना चूल के बिन्दु पर कोई निर्णय ही नहीं दिया है, अतः उन्होंने लॉक प्लेट एवं मोना चूल को आयरन स्टील की श्रेणी में ही मानते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी की ओर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वर्ष 2003–04 में अपीलार्थी द्वारा स्लॉटेड ऐंगल, लॉक प्लेट एवं मोना चूल (Slotted Angles, Lock Plate and Mona Chule) नामक लोहे के आइटम्स का निर्माण कर बिक्री की गई है। अपीलीय अधिकारी ने स्लॉटेड ऐंगल को आयरन एण्ड स्टील की श्रेणी में मान लिया है, अतः उस बिन्दु पर कोई विवाद शेष नहीं है। परन्तु अन्य दो आइटम्स यथा Lock Plate एवं Mona Chule पर कर की दर क्या होगी, संबंधी बिन्दु प्रस्तुत अपील में निर्णयाधीन है।

6. लॉक प्लेट के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसकी विस्तृत निर्माण प्रक्रिया एवं उपयोग का विवेचन किया गया है, जिसके अनुसार आयरन शीट की मशीन द्वारा कटाई किये जाने के पश्चात पॉवर मशीन द्वारा चौड़ाई में कटी हुई इन शीट्स को छोटे आयताकार रूप में काटकर मशीन द्वारा इसमें

निरन्तर.....3

छेद किये जाते है तथा बाद में इन छेदो में मजदूरों द्वारा हथौडी से नट, बोल्ट आदि लगाये जाते है एवं तत्पश्चात लॉक लीवर को प्लेट में फिट किया जाता है जिससे यह लॉक प्लेट तैयार होती है। उक्त विनिर्माण प्रक्रिया के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आइटम 'लॉक प्लेट' केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 के अधीन यथा घोषित "आयरन एण्ड स्टील" के अन्तर्गत कवर नहीं होता है, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे हार्डवेयर मानते हुए जो अन्तर करारोपण किया गया है वह विधिसम्मत है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, अतः इस संबंध में अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है।

7. जहां तक तीसरे आइटम Mona Chule पर कर दर का प्रश्न है, उक्त बिन्दु अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित होने के उपरान्त अपीलीय आदेश में इस पर कोई निर्णय नहीं दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में न तो इसकी निर्माण प्रक्रिया का वर्णन किया है तथा न ही यह उल्लिखित किया है कि इस पर उच्च कर दर क्यों मानी जा रही है, अतः इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी का आदेश नॉन स्पीकिंग होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

8. अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस कारण प्रतिप्रेषित किया गया था कि कर निर्धारण आदेश में निर्धारित की गई बिक्री तथा बिक्री के वास्तविक आंकड़ों में फर्क था, अतः लेखा पुस्तकों से वास्तविक बिक्री के आंकड़ों के आधार पर पुनर्निर्धारण करे। इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है। अतः इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी की लेखा पुस्तकों की जांच करने के पश्चात प्रश्नगत आइटम्स की सही टर्नओवर पर नियमानुसार करारोपण करते हुए इस आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर कर निर्धारण आदेश पारित करे। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 17.07.2018 को संबंधित रिकॉर्ड सहित उपस्थित होवे।

9. उपर्युक्तानुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया ।

15.06.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य